भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2095

उत्तर देने की तिथि : 02.12.2019

**स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि**

2095. श्री शंकर लालवानीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा प्रणाली को सुगम बनाने के लिए कौन से कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित संपूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) और (ख): विभाग ने वर्ष 2018-19 से पूर्व केंद्र-प्रायोजित योजनाओं नामत: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) का विलय करके समग्र शिक्षा नामक एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना में 'स्कूल' की स्कूल-पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सातत्य के रूप में परिकल्पना की गई है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और व्यय की गई राशि का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक **I** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मदरसों और मकतबों सहित सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की कक्षा-I से VIII में पढ़ रहे बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध

कराके पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की केंद्र-प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और इसके व्यय का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक -।। पर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मदरसों/ मकतबों को उनकी पाठ्यचर्या में आधुनिक विषय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु और अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/संवर्धन हेतु मदरसों/ अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान हेतु योजना (एसपीईएमएम) समग्र योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इस योजना में दो योजनाएं नामत: मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई)) शामिल हैं। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। दोनों योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। 2014-15 से 16 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के अंतर्गत जारी केंद्रीय भाग का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक - ।।। में दिया गया है।

कक्षा **VIII** में स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृतियां प्रदान करने केन्द्रीय सेक्टर की योजना ' राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर मौजूद इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के द्वारा सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में संवितरित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) : निधियों का उपयोग किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित रही निधियों को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है।

******

संलग्नक-।

'स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि' के संबंध में श्री शंकर लालवानी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और किए गए व्यय को दर्शाने वाला राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण

**(रू. लाख में)**

| **क्र. सं.** | **राज्य का नाम** | **2018-19** | | **2019-20** |
|---|---|---|---|---|
| | | **समग्र शिक्षा** | | **समग्र शिक्षा** |
| | | **जारी किया गया केन्द्रीय भाग** | **व्यय*** | **जारी किया गया केन्द्रीय भाग ** (तदर्थ + पहली किस्त)** |
| 1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 2180.33 | 1766.22 | 2001.90 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 95096.76 | 190605.61 | 80077.58 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 33048.8 | 41386.2 | 23874.17 |
| 4 | असम | 157072.23 | 162023.01 | 106872.63 |
| 5 | बिहार | 305837.73 | 558747.65 | 237515.28 |
| 6 | चंडीगढ़ | 7714.56 | 6605.56 | 3956.81 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 88206.43 | 152798.14 | 64441.40 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 3462.38 | 3555.34 | 2237.37 |
| 9 | दमन और दीव | 631.22 | 835.22 | 133.51 |
| 10 | दिल्ली | 13981.74 | 35063.19 | 18797.80 |
| 11 | गोवा | 1353.03 | 2379.62 | 1143.12 |
| 12 | गुजरात | 67089.17 | 152861.67 | 66636.30 |
| 13 | हरियाणा | 57841.95 | 84409.09 | 47080.27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 43295.44 | 52079.51 | 35182.22 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 171776.09 | 146445.4 | 3334.24 |
| 16 | झारखंड | 68596 | 130488.03 | 66463.81 |
| 17 | कर्नाटक | 62784 | 129923.72 | 51082.24 |
| 18 | केरल | 25604.99 | 39631.31 | 14741.54 |
| 19 | लक्षद्वीप | 265.07 | 217.79 | 292.62 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 243783.65 | 359283.06 | 191166.59 |
| 21 | महाराष्ट्र | 95051.92 | 146341.28 | 69819.40 |
| 22 | मणिपुर | 25202.01 | 25683.1 | 16227.55 |
| 23 | मेघालय | 23784.62 | 36708.57 | 24217.99 |
| 24 | मिजोरम | 14630.41 | 17081.83 | 10125.71 |
| 25 | नागालैंड | 19766.33 | 17516.7 | 10773.19 |
| 26 | ओडिशा | 123021.51 | 260807.8 | 133487.50 |
| 27 | पुडुचेरी | 804.88 | 2189.42 | 305.80 |
| 28 | पंजाब | 44400 | 82829.07 | 18290.63 |
| 29 | राजस्थान | 262721.45 | 361782.35 | 197623.20 |
| 30 | सिक्किम | 6624.19 | 9998.24 | 5932.93 |
| 31 | तमिलनाडु | 147444.01 | 246585.47 | 118615.61 |
| 32 | तेलंगाना | 68840.41 | 108529.98 | 56244.15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | त्रिपुरा | 24896.48 | 29210.96 | 15927.09 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 462541.04 | 684631.1 | 246588.01 |
| 35 | उत्तराखंड | 51138.26 | 47717.44 | 28234.75 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 108934.52 | 199768.38 | 117389.02 |
| | **कुल** | **2929423.61** | **4528487.03** | **2086833.93** |

* प्राप्त केंद्रीय भाग, राज्य भाग, अव्ययित शेष और विविध आय यदि कोई हो के संबंध में, राज्यों द्वारा पीएमएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार व्यय

** 15-11-2019 को जारी निधियां (तदर्थ + पहली किस्त)

*****

**संलग्नक -II**

स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि' के संबंध में श्री शंकर लालवानी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित संलग्नक

**वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी केन्द्रीय सहायता और उनका उपयोग**

**(रू.लाख में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | आबंटित/जारी की गई केन्द्रीय सहायता | उपयोगिता | आबंटित/जारी की गई केन्द्रीय सहायता (19.11.2019 के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018-19 | | 2019-20 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 25748.17 | 24891.49 | 14525.26 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2506.03 | 2585.01 | 1403.47 |
| 3 | असम | 51982.21 | 53532.38 | 32386.64 |
| 4 | बिहार | 112448.94 | 110854.76 | 63822.76 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 32085.98 | 28308.86 | 12969.91 |
| 6 | गोवा | 1309.07 | 1252.43 | 732.55 |
| 7 | गुजरात | 42351.63 | 35897.83 | 20816.63 |
| 8 | हरियाणा | 13218.95 | 11221.87 | 5058.67 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 8021.30 | 8018.81 | 4206.69 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 10665.80 | 8598.72 | 2666.45 |
| 11 | झारखंड | 33242.99 | 29287.08 | 18309.02 |
| 12 | कर्नाटक | 40707.67 | 43358.74 | 33112.54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | केरल | 19856.63 | 19477.55 | 11278.63 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 56191.95 | 56434.57 | 27231.81 |
| 15 | महाराष्ट्र | 98185.46 | 82533.91 | 55254.54 |
| 16 | मणिपुर | 2050.81 | 2151.03 | 1210.51 |
| 17 | मेघालय | 7734.39 | 7119.85 | 4452.84 |
| 18 | मिजोरम | 1889.23 | 1862.79 | 1051.18 |
| 19 | नगालैंड | 2861.95 | 2208.58 | 1339.14 |
| 20 | ओडिशा | 39556.93 | 38228.53 | 21001.96 |
| 21 | पंजाब | 15249.99 | 14605.25 | 6927.95 |
| 22 | राजस्थान | 42043.30 | 42136.34 | 27738.36 |
| 23 | सिक्किम | 881.15 | 865.16 | 469.16 |
| 24 | तमिलनाडु | 42054.58 | 41859.94 | 24594.31 |
| 25 | तेलंगाना | 15757.34 | 16833.58 | 10187.74 |
| 26 | त्रिपुरा | 5339.03 | 4998.50 | 2834.32 |
| 27 | उत्तराखंड | 9478.27 | 9290.60 | 4827.94 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 112771.60 | 110736.90 | 68058.66 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 91710.01 | 101761.25 | 62050.29 |
| 30 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 584.78 | 376.49 | 235.69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | चंडीगढ़ | 1062.83 | 652.73 | 588.31 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 933.22 | 562.83 | 343.73 |
| 33 | दमन और दीव | 304.07 | 284.31 | 154.99 |
| 34 | दिल्ली | 9808.38 | 9470.37 | 5997.39 |
| 35 | लक्षद्वीप | 124.63 | 97.86 | 59.36 |
| 36 | पुडुचेरी | 515.51 | 394.63 | 118.13 |
| **कुल (लाख में )** | | **951235** | **922752** | **548018** |

**संलग्नक -III**

स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि' के संबंध में श्री शंकर लालवानी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित संलग्नक

**2018-19 और 2019-20 मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीईएमएम) के अंतर्गत आबंटित/जारी केन्द्रीय सहायता**

**(रू. लाख में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **केन्द्रीय निधियां 2018-19** | | **जारी केन्द्रीय निधियां 2019-20** |
|---|---|---|---|---|
| | | **एसपीक्यूईएम** | **आईडीएमआई** | **एसपीक्यूईएम** |
| 1 | छत्तीसगढ़ | 209.67 | --- | --- |
| 2 | केरल | --- | 31.685 | --- |
| 3 | मध्य प्रदेश | 567.123 | --- | --- |
| 4 | मणिपुर | --- | 25 | --- |
| 5 | मिजोरम | --- | 82.39 | --- |
| 6 | त्रिपुरा | 147.6 | --- | --- |
| 7 | उत्तर प्रदेश | 491.444 | 218.25 | 5912.088 |
| 8 | उत्तराखंड | 51.84 | --- | --- |
| कुल | | 1467.677 | 357.325 | 5912.088 |

*****